



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022023-243318
CG-DL-E-01022023-243318

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 1, 2023/माघ 12, 1944

No. 446]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023/MAGHA 12, 1944

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2023

का.आ. 461(अ).—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के निम्नलिखित कार्यालय, जिसके 80% से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उपनियम (4) के अंतर्गत अधिसूचित करती है:

कार्यकारी निदेशक परियोजना/मोदीनगर

खसरा नं० 56, ग्राम-उखलारसी

परगना-जलालाबाद, मुरादनगर

गाजियाबाद-201206

[फा. सं. ई-11017/5/2013-हिन्दी]

स्वीटी कर्ता राम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th January, 2023

S.O. 461(E).—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of Official Language (Use for official purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify the following office of the National Capital Region Transport Corporation under Ministry of Housing and Urban affairs, where more than 80% of officers/employees have attained working knowledge of Hindi:

Executive Director Project/Modinagar

Khasra No. 56, Village-Ukharsa

Pargana Jalalabad, Murad Nagar

Ghaziabad-201206

[F. No. E-11017/5/2013-Hindi]

SWEETY KARTA RAM, Jt. Secy.